



## राजस्थान सरकार

### राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, राजस्थान राज्य स्वास्थ्य समिति स्वास्थ्य भवन, जयपुर

एफ 29(39) एन.आर.एच.एम./एम.एम.जे.आर.के./2010/३१०४-५७ दिनांक १७-५-१०

परिपत्र 2/2010

मुख्यमंत्री बीपीएल जीवन रक्षा कोष योजना के कियान्वयन हेतु सामान्य निर्देश ।


माननीय मुख्यमंत्री द्वारा राज्य के समस्त 26 लाख बीपीएल परिवारों (योजना आयोग नई दिल्ली के मापदण्डानुसार) को निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाने हेतु मुख्यमंत्री बीपीएल जीवन रक्षा कोष योजना दिनांक 1 जवनरी 2009 से, प्रारम्भ की गयी है इस योजना के तहत समय- समय पर स्टेट बीपीएल, आस्था कार्डधारी, एचआईवी+ / एड्स मरीज, राज्य सरकार द्वारा चयनित विधवा, वृद्धावस्था एवं विकलांग पेन्शनधारी, अन्त्योदय अन्न योजना, अन्नपूर्णा योजना, नवजीवनयोजना (जोधपुर शहर) को भी लाभ दिये जाने हेतु शामिल किया गया है। इन सभी से सम्बन्धित आदेश/परिपत्र विभागीय [www.rajswasthaya.nic.in](http://www.rajswasthaya.nic.in) पर अपलोड किये गये हैं। योजना के कियान्वयन हेतु संक्षिप्त विवरण एवं निर्देश पुनः निम्नानुसार है:-

- I. **स्टेट बीपीएल :-** राज्य के लगभग 10 लाख परिवार ऐसे हैं जिनका 1997 (ग्रामीण) व 1998 (शहरी) की बीपीएल सूची में तो नाम था लेकिन वर्ष 2002 (ग्रामीण) व 2003 (शहरी) की सूची में उनका नाम चयनित नहीं हो सका। ऐसे परिवारों को राज्य सरकार ने स्टेट बीपीएल मानते हुए उन्हें भी मुख्यमंत्री बीपीएल जीवन रक्षा कोष योजना के तहत निःशुल्क चिकित्सा सुविधा देने का आदेश दिनांक 14.7.2009 को जारी किया है। इस प्रकार इन दोनों श्रेणी के बीपीएल परिवारों की सूची ग्रामीण बीपीएल हेतु NIC तथा शहरी बीपीएल हेतु राजकॉम ने ऑनलाइन करने का कार्य भी किया है। ग्रामीण क्षेत्र की बीपीएल एवं स्टेट बीपीएल सूची लगभग ऑनलाइन की जा चुकी है लेकिन शहरी क्षेत्र की बीपीएल सूची में अभी कार्य पूरा नहीं हुआ है। जिसके लिए ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज विभाग तथा शहरी विकास एवं आवासन से लगातार पत्राचार करते हुए सम्पूर्ण सूची प्राप्त किये जाने के प्रयास किये जा रहे हैं। यदि किसी बीपीएल कार्डधारी का नाम ऑनलाइन पर नहीं है तो भी उन्हें कार्ड की फोटोप्रति रखते हुए इस योजना का लाभ दिया जावे।
- II. **आस्था कार्डधारी :-** राज्य में लगभग 5,000 परिवार ऐसे हैं जिसमें दो या उससे अधिक सदस्य विकलांग हैं ऐसे परिवारों को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा आस्था कार्ड जारी किया जाता है। इन्हें दिनांक 3.12.2009 से मुख्यमंत्री बीपीएल जीवन रक्षा कोष योजना के तहत निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाने का निर्णय लिया गया है। इस प्रकार पीआईडी (पेशेन्ट आईडेन्टी) के आधार पर इस योजना का लाभ दिया जावे।
- III. **एचआईवी+ / एड्स मरीज :-** राज्य में लगभग 15,000 HIV +/ एड्स के मरीज हैं। उन्हें चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग (एड्स) द्वारा पेशेन्ट आईडेन्टी कार्ड (PID) दिया हुआ है जिन्हें दिनांक 9.12.2009 से मुख्यमंत्री बीपीएल जीवन रक्षा कोष योजना के तहत निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है। इस प्रकार पीआईडी (पेशेन्ट आईडेन्टी) के आधार पर इस योजना का लाभ दिया जावे।

- IV. राज्य सरकार द्वारा चयनित विधवा, वृद्धावस्था एवं विकलांग पेन्शनधारी :— राज्य सरकार ने दिनांक 1.4.2010 से सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग द्वारा चयनित राज्य के विधवा, वृद्धावस्था एवं विकलांग पेन्शनधारियों (लगभग 10 लाख) को भी मुख्य मंत्री बीपीएल जीवन रक्षा कोष योजना के तहत निःशुल्क चिकित्सा सुविधा देने का निर्णय लिया है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग तथा निदेशक कोष व लेखा विभाग को अध्यतन पेंशनरों की सूची ऑन लाइन उपलब्ध कराने हेतु निवेदन किया हुआ है। तथा प्रत्येक जिले के संबंधित अधिकारियों के पास सूची उपलब्ध है अतः उक्त सूची की हार्ड व साप्ट कापी प्राप्त कर पेंशनरों को लाभ दिया जावे।
- V. अन्त्योदय अन्न योजना :— खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा संचालित इस योजना के तहत बारां जिले के लगभग 21,000 सहरिया परिवार जो कि बीपीएल नहीं है उन्हें भी दिनांक 26.4.2010 से मुख्यमंत्री बीपीएल जीवन रक्षा कोष योजना के तहत लाभान्वित करने का निर्णय लिया गया है। अतः जिलाधीश कार्यालय बांरा व जिला रसद अधिकारी बांरा से उक्त लाभार्थियों की सूची प्राप्त कर मुख्यमंत्री बीपीएल जीवन रक्षा कोष योजना का लाभ दिया जावे।
- VI. अन्नपूर्णा योजना :— खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा संचालित इस योजना में लगभग 1 लाख वृद्धजनों को मुख्यमंत्री बीपीएल जीवन रक्षा कोष योजना के तहत दिनांक 26.4.2010 से लाभान्वित करने का निर्णय लिया गया है जो केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा देय वृद्धावस्था पेंशन योजना के पाने के हकदार तो है लेकिन किसी कारणवश उनको चयनित नहीं किया जा सका है। जिलेवार सूची (हार्ड व साप्ट )प्राप्त कर अन्नपूर्णा योजना के चयनित को लाभ दिया जावे।
- VII. नवजीवन योजना :— राज्य सरकार द्वारा 19.4.2010 से जोधपुर शहर के भदवासियां, रातानाड़ा, मन्सूरिया एवं बनाड़ रोड़ की नट व सॉसी बस्ती के सभी परिवारों को निःशुल्क चिकित्सा सुविधा मुख्य मंत्री बीपीएल जीवन रक्षा कोष के तहत प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया है। जिला आबकारी अधिकारी जोधपुर एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, नगर निगम जोधपुर से सूची (हार्ड व साप्ट ) प्राप्त कर राशन कार्ड के आधार पर योजना का लाभ दिया जावे।
2. ऑन लाइन रिपोर्टिंग की व्यवस्था:- माननीय मुख्यमंत्री द्वारा दिनांक 15.9.2009 को ऑन लाइन सॉफ्टवेयर का उद्घाटन कर समस्त सूचना ऑनलाइन पर प्राप्त करने के निर्देश दिये हैं। ग्रामीण बीपीएल परिवारों की सूचना लगभग ऑनलाइन हो चुकी है। अन्य सभी श्रेणी के परिवारों की सूची को ऑन लाइन करने का कार्य सम्बन्धित नोडल विभाग द्वारा NIC के माध्यम से उपलब्ध करवाने की शीघ्र व्यवस्था की जा रही है। श्रेणीवार सूचना [cmbpljrk.raj.nic.in](http://cmbpljrk.raj.nic.in) वेब बेसड पोर्टल पर उपलब्ध करवायी जावे।
3. सुझाव व शिकायत बोक्स की मोनिटरिंग :— विभाग के परिपत्र दिनांक 11.3.2010 के द्वारा निर्देश दिये गये कि बीपीएल काउन्टर के बाहर एक शिकायत/सुझाव का पीले रंग का बक्सा लगावायेगे तथा बक्से पर एमएमबीपीएलजेआरके योजना के अन्तर्गत शिकायत/सुझाव लिखा जावे। जिला स्तर के चिकित्सालय एवं मेडिकल कॉलेज से संबंधित चिकित्सालयों के बक्सों की चाबी जिला कलक्टर/अतिरिक्त जिला कलक्टर के पास रहेगी, उपखण्ड चिकित्सालयों/सैटेलाइट चिकित्सालयों/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों के बक्सों की चाबी संबंधित उपखण्ड अधिकारी के पास रहेगी। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की चाबी संबंधित तहसीलदार के पास रहेगी। एक माह की अवधि के पश्चात बक्सों में प्राप्त शिकायत/सुझाव अतिरिक्त जिला कलक्टर के पास भिजवाये जायेंगे। प्राप्त शिकायतों/सुझावों को सुव्यवस्थित तरीके से दर्ज कर निस्तारण किया जावे।

- मासिक समिक्षा :- जिला कलक्टर की अध्यक्षता में प्रतिमाह जिला स्वास्थ्य समिति की आयोजित होने वाली बैठक में मुख्यमंत्री द्वारा जीवन रक्षा कोष योजना की समीक्षा की बिन्दु भी रखा जावे। चर्चा के दौरान कोई विशेष बिन्दु हो जिस पर राज्य सरकार द्वारा निर्णय लिया जाना हो, उन बिन्दुओं को शीघ्र परियोजना निदेशक मुख्यमंत्री जीवन रक्षा कोष के नाम भिजवावें।
- उपयोगिता प्रमाण पत्र व खर्चों का विवरण :- योजना के क्रियान्वयन हेतु प्रत्येक स्वास्थ्य केन्द्र हेतु एक निश्चित ऐडवांस फ्लोट अमाउन्ट दिये जाने की व्यवस्था की हुई है। परन्तु, चिकित्सा संस्थानों द्वारा खर्च का विवरण व उपयोगिता प्रमाण-पत्र समय पर मुख्यालय नहीं भिजवाया जाता है। परिणास्वरूप, जहां एक ओर बजट आवंटन में कठिनाई होती है वहीं रिकार्ड रिकन्साइलेसन नहीं हो पाता है। इस संबंध में पुनः निर्देशित किया जाता है कि निर्धारित प्रपत्र में खर्च का विवरण व उपयोगिता प्रमाण पत्र भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।

कृपया अनुपालना सुनिश्चित करावें।



### प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु

- निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान।
- निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, वित्त, शासन सचिवालय, जयपुर।
- निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामला शासन सचि. जयपुर।
- निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा, शासन सचिवालय जयपुर।
- निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता शासन सचिवालय जयपुर।
- निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य व परिवार कल्याण विभाग जयपुर।
- निजी सचिव, शासन सचिव जनजाति विकास विभाग, शासन सचिवालय जयपुर।
- मिशन निदेशक, एन.आर.एच.एम./परियोजना निदेशक, आर.एच.एस.डी.पी. जयपुर।
- समस्त सम्भागीय आयुक्त/समस्त जिला कलेक्टर, राजस्थान।
- आयुक्त, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर।
- आयुक्त, आबकारी विभाग, राजस्थान सरकार उदयपुर।
- निदेशक कोष एवं लेखा विभाग, जयपुर।
- समस्त प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, मेडिकल कालेज, राजस्थान।
- निदेशक(जनस्वास्थ्य/पक/एड्स/आईइसी)/परियोजनानिदेशक(एमएमजेआरके/एनआरएचएम)
- समस्त अधीक्षक, सलंगन चिकित्सालय सघ, राजस्थान।
- टैक्नीकल डाईरेक्टर, NIC एस एस ओ बिलिंग, शासन सचिवालय जयपुर।
- समस्त संस्कृत निर्देशक, हैत्रीष कार्यक्रम राजस्थान।
- समस्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी/मुख्य चिं. स्वा. अधिकारी/खण्ड मुख्य चि. अधिकारी।
- जिला रसद अधिकारी, बांरा/जिला आबकारी अधिकारी जोधपुर।
- समस्त चिकित्सा अधिकारी प्रभारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र राजस्थान।
- समस्त उपखण्ड अधिकारी / तहसीलदार राजस्थान।
- समस्त जिला कार्यक्रम प्रबन्धन/खण्ड कार्यक्रम प्रबन्धक।
- सेन्ट्रल सर्वर रूम/रक्षित पत्रावली/नोटिस बोर्ड।

१७१०  
(जे. पी. मीना)  
परियोजना निदेशक